16.10.25

पत्रावली पेश। अभिभाषक प्रार्थी एवं सरकार पैरोकार उपस्थित। उभयपक्ष की बहस सुनी गई। अभिभाषक प्रार्थी द्वारा ऐसा कोई साक्ष्य पेश नहीं किया गया, जिससे सिद्ध होता हो कि प्रार्थी का 1/5 भाग को गलत तरीके से प्रा० पत्र में वर्णित आराजी की जमाबंदी रिकार्ड में 1/9 भाग दर्ज कर दिया गया है। अतः प्रा० पत्र प्रार्थी साक्ष्य के अभाव में अस्वीकार कर खारिज निर्णित किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील नम्बर से कम कर दाखिल दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर
मनोहरथाना, जिला झालावाड़ (राज.)

प्रकरण संख्या :– 124/24
उनवान :– बाबू बनाम घीसा वगै0
निर्णय दिनाँक :–16.10.2025

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलेक्टर मनोहरथाना
जिला झालावाड़

पीठासीन अधिकारी:–	पुष्कर कुमार मित्तल (आर.ए.एस.)
प्रकरण संख्या :–	124/24
दायर दिनाँक :–	08.07.2024
निर्णय दिनाँक:–	16.10.2025

उनवान :– बाबू

बनाम

घीसा वगै0

प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थित :– 1 श्री घनश्याम मीणा नायब तहसीलदार सरकार पैरोकार
2 श्री केसरी सिंह पुष्पद, अधिवक्ता प्रार्थी

–: निर्णय :–

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है, प्रार्थी बाबू पिता नन्दा जाति लोधा निवासी सेहतखेडी तहसील मनोहरथाना ने जरिए अधिवक्ता न्यायालय के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है कि ग्राम समरोल पटवार मण्डल समरोल तह0 मनोहरथाना की जमाबंदी नकल सम्वत् 2071–2074 के खाता संख्या नया 152 (पुराना 127) की कुल किता 3 की 1.6916 हेक्टेयर, आराजी प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण 1 लगायत 3– घीसा पुत्र औकार जाति लोधा, मोजीराम उर्फ फूलचन्द पिता जयकिशन जाति लोधा एवं रामलाल पिता कान्हा जाति लोधा निवासी सेहतखेडी तह0 मनोहरथाना के शामलाती खाते में दर्ज है जिसमें प्रार्थी का 1/9 भाग हिस्सा जमाबंदी में अंकित है, जो लिपिकीय त्रुटि और गलत है। वास्तव में उक्त आराजी में प्रार्थी का हिस्सा 1/4 दर्ज होना चाहिए था।

आगे वाद में कहा गया है कि प्रार्थी के हिस्से की इस त्रुटि के संशोधन हेतु प्रार्थी ने तहसीलदार मनोहरथाना को प्रार्थना पत्र दिया था, किन्तु कोई उचित कार्यवाही नहीं हुई।

अतः प्रार्थी ने न्यायालय से अनुरोध किया है कि ग्राम समरोल की उक्त आराजी में प्रार्थी को 1/4 व अप्रार्थी नंबर 1, 2 व 3 कों 1/4 हिस्से शामिल खाते दर्ज किया जाये एवं जयकिशन पिता नन्दा का नाम लिपिकिये त्रुटी के कारण दर्ज होने से उसका नाम हटाया जाये और राजस्व अभिलेखों में

उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर
मनोहरथाना, जिला झालावाड़ (राज.)

इसका संशोधन प्रभावी रूप से अमल में लाया जाए। साथ ही न्यायालय से प्रार्थी को आवश्यक व्यय, वाद के खर्च और अन्य न्यायोचित सहायता प्रदान करने की भी प्रार्थना की गई है। प्रार्थी ने इस वादपत्र के साथ शपथ पत्र भी प्रस्तुत किया है।

इस वाद को न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर मनोहरथाना में प्रस्तुत किया गया था। जिसे दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी नं0 4 की ओर से सरकार पेरोकार को तलब किया गया। सरकार पेरोकार द्वारा जवाब प्रस्तुत किया गया, जिसे शामिल पत्रावली किया गया।

हमने प्रार्थना–पत्र एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य का गौरपूर्वक अवलोकन किया तथा उभयपक्षकारान की बहस पर मनन किया। बाद अवलोकन एवं मनन यह स्पष्ट होता है कि प्रार्थी द्वारा ऐसा कोई दस्तावेज साक्ष्य के रूप में पेश नही किया गया है, जिससे सिद्ध होता हो कि प्रार्थी का 1/4 भाग हिस्सा, को गलत तरीके से जमाबंदी में 1/9 दर्ज कर दिया गया है।

अतः प्रार्थना–पत्र प्रार्थीया साक्ष्य के अभाव में खारिज़ निर्णित किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया तथा न्यायालय की मोहर एवं मेरे हस्ताक्षर से जारी किया गया।

(पुष्कर कुमार मित्तल)
उपखण्ड अधिकारी एवं
सहायक कलेक्टर, मनोहरथाना